राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 643/2017..... जिला : जयपुर

मैसर्स खण्डेलवाल एजेन्सीज, जयपुर बनाम सहायक वाणज्यिक कर अधिकारी,बिजनेस एवं ऑडिट–प्रथम, जोन–द्वितीय,जयपुर एवं अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.04.2017	**एकलपीठ** **श्री मदन लाल मालवीय,सदस्य** अपीलार्थी की ओर से श्री एच.एस.गुप्ता एव विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री आर.के. अजमेरा उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे ''अपीलीय अधिकारी''कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.2017, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम ,2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, बिजनिस ऑडिट–प्रथम, संभाग–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे 'निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा की अधिनियम की धारा 27(4)(5), 55, 61 व 18(3) के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 के लिए आदेश दिनांक 15.02.2017 को पारित करते हुए कर रू. 1,78,380/–,ब्याज रू. 73,150/– तथा अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू. 3,56,760/–कुल रू. 6,08,290/–की मांग कायम की गई है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा रू. 6,08,290/– को स्थगित रखने हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उन्होंने 6,08,290/– में से रू. 3,56,760/–को स्थगित रखते हुए शेष मांग राशि रू. 2,51,530/–पर रोक लगाने से इंकार करने के आदेश को चुनौती देते हुए उक्त मांग राशि की वसूली स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया है। उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि अपीलीय अधिकारी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कायम की गई मांग राशि रू. 6,08,290/– में से रू. 3,56,760/– पर रोक लगाते हुए शेष मांग राशि रू. 2,51,530/–की वसूली पर रोक लगाने से इन्कार करने संबंधी किसी प्रकार के कारणों का आदेश में अंकन नहीं किया गया है। उनका कथन है कि उक्त तथ्यों के आलोक में अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश में विवादित राशि बाबत् प्रकरण व सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट करते हुए शेष मांग राशि रू. 2,51,530/–की वसूली पर रोक	

लगाने की प्रार्थना की गयी तथा अन्यथा स्थिति में अपीलार्थी व्यवहारी को अपूरणीय क्षति होने का तर्क भी दिया गया।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए सुविधा सन्तुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक सम्बन्धी प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

उभयपक्षीय की बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन एवं उभय पक्षीय तर्को पर विचार करने के पश्चात यह पीठ अनुभव करती है कि हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी के पक्ष में है क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने स्थगन हेतु शेष मांग राशि रू. 2,51,530/– के सम्बन्ध में अपीलाधीन आदेश में कोई कारण अंकित नहीं किया है। लिहाजा, अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध बकाया मांग राशि रू. 2,51,530/–की वसूली पर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिवस में पर्यात जमानत (Adequote Security) प्रस्तुत करने की दशा में, अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय अथवा 3 माह, जो भी पहले हो, के लिए रोक लगायी जाती है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्पभावी समझा जावेगा एवं अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से आगामी 3 माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया ।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य